# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 14 16-31 जुलाई 2026 ₹ 20/-

# वंदे मातरम का अपमान अब अपराध के दायरे में

- मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक
- नेपाल में कांवड़ यात्रा पर हमले के बाद सांप्रदायिक दंगे
- हमास गाजा बोर्ड ऑफ पीस समझौते से सहमत
- गुजरात में एंटी-रैडिकलाइजेशन सेल का विरोध

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

**सारांश** 03

**राष्ट्रीय**

वंदे मातरम का अपमान अब अपराध के दायरे में 04
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर लगी रोक 06
मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित 09
गुजरात में एंटी–रैडिकलाइजेशन सेल का विरोध 12
राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक 14

**विश्व**

नेपाल में कांवड़ यात्रा पर हमले के बाद सांप्रदायिक दंगे 16
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ीं 18
पीओजेके में बढ़ता नागरिक असंतोष 20
पाकिस्तान के हवाई हमलों में 500 अफगान नागरिकों की मौत 21
अफगानिस्तान में शादी और सगाई की रस्मों पर नए प्रतिबंध 23

**पश्चिम एशिया**

हमास गाजा बोर्ड ऑफ पीस समझौते से सहमत 24
सऊदी अरब का हूतियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गठबंधन 25
सऊदी अरब और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता 27
सीरिया और इजरायल के बीच सुरक्षा समझौते की कवायद 28
ईरान में सुन्नी धर्मगुरु की हत्या 30

# सारांश

संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का जानबूझकर अपमान करने और उसके गायन में बाधा डालने वालों के लिए तीन साल की जेल और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। अब राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, जिनका अपमान करने वालों के लिए पहले से ही कड़े दंड की व्यवस्था है। गौरतलब है कि मुसलमानों का एक वर्ग शुरुआत से ही वंदे मातरम का विरोध करता आ रहा है। उनका दावा है कि यह गीत उनके धार्मिक मूल्यों के खिलाफ है और इसे जबरन गाने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है।

मुरादाबाद के मंडलायुक्त की अदालत ने रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे के अवैध रूप से निर्मित बताते हुए इन्हें ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। इस प्रशासनिक कार्रवाई का विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध किया था। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने सभी नियमों को ताक पर रखकर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। पिछले दिनों सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई सघन जांच के दौरान इस बात की भी पुष्टि हुई थी कि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया था।

गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने गुजरात और मध्य प्रदेश में छापे मारकर एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों को हिरासत में लिया है। इन आतंकवादियों के तार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। इस गिरोह का पता चलने के बाद भविष्य में गुजरात में आतंकवादी गतिविधियों के उन्मूलन के लिए राज्य के गुप्तचर विभाग और पुलिस ने प्रत्येक जिले में एंटी-रैडिकलाइजेशन सेल स्थापित करने का फैसला किया है। हैरानी की बात है कि उर्दू अखबार सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इन अखबारों का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर मुसलमानों को अपना निशाना बना रहा है।

हिंदू बहुल देश नेपाल में सांप्रदायिक दंगों की आग भड़क उठी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कांवड़ यात्रियों का एक जत्था एक मस्जिद के पास से डीजे बजाते हुए जा रहा था। मस्जिद के कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज जताया, जिसके बाद तेज संगीत बजाने और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद वहां भारी पथराव हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। इस घटना की खबर फैलते ही सांप्रदायिक दंगों की आग नेपाल के तराई इलाकों में फैल गई। इस पर काबू पाने के लिए इस पूरे इलाके में न केवल कर्फ्यू लगाना पड़ा, बल्कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना और नेपाल की सशस्त्र पुलिस को सौंपनी पड़ी। इस दंगे को भारतीय इलाकों में फैलने से रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को अत्यधिक कड़ा कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों से इस इलाके में इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कई धार्मिक संगठनों ने नेपाल सरकार से मांग की है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।

गाजा में सक्रिय आतंकवादी संगठन हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित 20-सूत्रीय 'गाजा बोर्ड ऑफ पीस' समझौते को स्वीकार करने की घोषणा की है। अमेरिका के कड़े रुख के कारण हमास को नि:शस्त्रीकरण और गाजा के प्रशासन से पूरी तरह हटने का फैसला करना पड़ा है। इजरायल ने घोषणा की है कि अगर हमास अपने हथियार किसी एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के हवाले कर देता है तो वह गाजा से अपनी सेना वापस बुला लेगा ताकि गाजा के प्रशासन की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र तकनीकी प्राधिकरण को सौंपी जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय फंड का इस्तेमाल करने का आश्वासन दिया है।

■

# वंदे मातरम का अपमान अब अपराध के दायरे में

**इंकलाब** (30 जुलाई) के अनुसार संसद ने राष्ट्रगान 'जन गण मन' की तरह राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के गायन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने या इसका अपमान करने को कानूनी अपराध घोषित कर दिया है। वंदे मातरम का अपमान करने पर अधिकतम तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में विपक्षी दलों के वाकआउट के बीच 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन में गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति को लेकर भारी शोर-शराबा किया और इसके विरोध में वे सदन से वाकआउट कर गए।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह महज एक सामान्य कानूनी संशोधन नहीं है, बल्कि यह देश के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प व सम्मान को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके नेताओं ने पूर्व में भी वंदे मातरम का विरोध किया था। वर्ष 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब उनके कार्यकाल में इस गीत को केवल शुरुआती दो छंदों तक ही सीमित कर दिया गया था। नए कानून के तहत यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करना एक दंडनीय अपराध है, अब ठीक वही सारे नियम राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' पर भी समान रूप से लागू होंगे।

**उर्दू टाइम्स** (31 जुलाई) के अनुसार लोकसभा ने भी इस विधेयक को पारित कर दिया है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद यह पूरे देश में लागू हो जाएगा।

**हिंदुस्तान** (1 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वंदे मातरम को

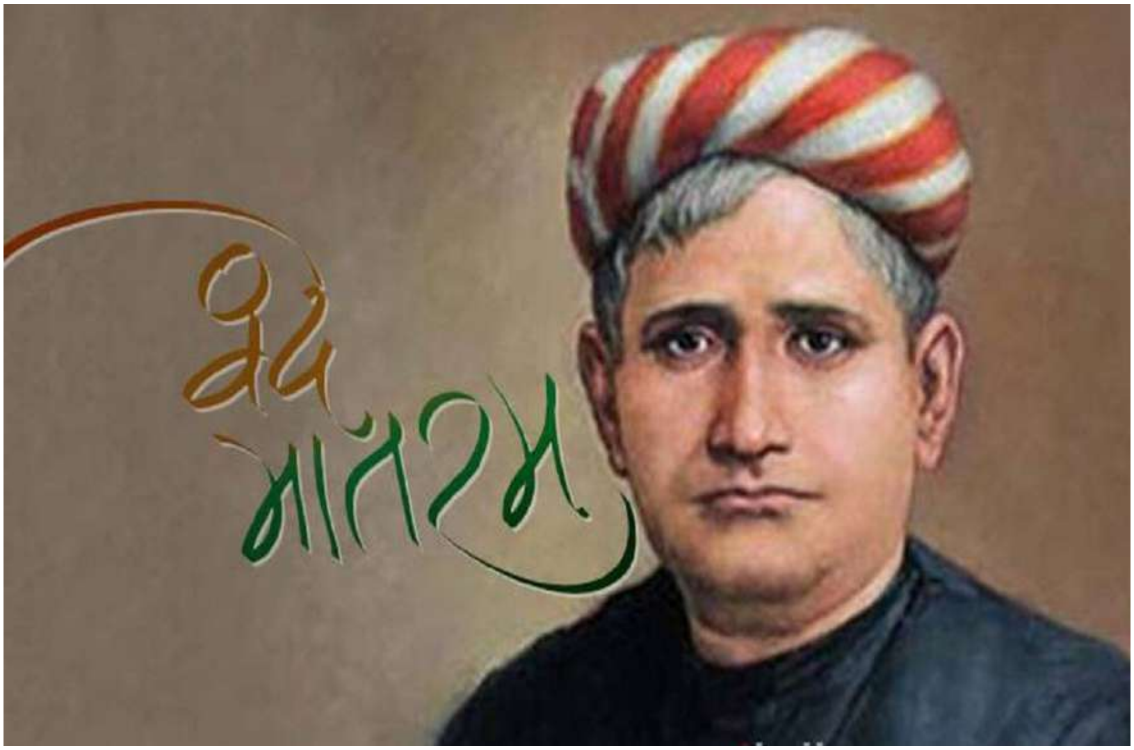


कानूनी दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। बोर्ड का कहना है कि यह भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है तथा नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इसे मुसलमानों पर जबरन थोपने का प्रयास संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। यह गीत मुसलमानों के 'एक अल्लाह' के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी व्यक्ति को कोई गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (1 अगस्त) ने अपने संपादकीय में इस कानून का विरोध करते हुए लिखा है कि संसद द्वारा पारित वंदे मातरम से संबंधित कानून भारतीय संविधान में मुसलमानों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के विपरीत है। इस्लाम में 'तौहीद' का सिद्धांत अनिवार्य है, जिसके अनुसार कोई भी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकता। संपादकीय में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी व्यक्ति को कोई गीत गाने या किसी ऐसे समारोह में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसमें किसी विशेष गीत का गायन अनिवार्य हो। समाचारपत्र ने लिखा है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जबरन किसी को इसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

**इंकलाब** (3 अगस्त) में अब्दुल हमीद नोमानी का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा बनाए गए वंदे मातरम से संबंधित कानून का उद्देश्य मुसलमानों को इस्लाम और पैगंबर की शिक्षाओं से दूर करना है। लेख में कहा गया है कि वर्तमान सरकार मुसलमानों को बहुसंख्यक समाज मे जबरन शामिल करने का प्रयास कर रही है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है।

# मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर लगी रोक

**इंकलाब** (28 जुलाई) के अनुसार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त की अदालत ने रामपुर विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ढहाने का निर्देश दिया गया था। दूसरी ओर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंडलायुक्त की अदालत से पहले ही अंतरिम राहत मिल चुकी है, इसलिए फिलहाल अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत कार्रवाई करते हुए इस यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण के अनुसार उस समय तत्कालीन जिला पंचायत से केवल दो इमारतों के निर्माण की मंजूरी ली गई थी, लेकिन इसके बाद बनी शेष 38 इमारतों के निर्माण के लिए किसी भी सक्षम एजेंसी से स्वीकृत नक्शा नहीं लिया गया था। इस आदेश के विरोध में यूनिवर्सिटी परिसर में हजारों छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया था। साथ ही प्रबंधन ने मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में अपील दायर कर हस्तक्षेप की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त ने फिलहाल ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

जौहर यूनिवर्सिटी की प्रो-वाइस चांसलर और आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा ने मंडलायुक्त के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए सरकार इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा नहीं कर सकती।

**इंकलाब** (17 जुलाई) के अनुसार रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को दिए गए ध्वस्तीकरण के नोटिस पर टिप्पणी करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा था कि जिन इमारतों पर आपत्ति जताई जा रही है, उनका निर्माण उस समय किया गया था जब यह पूरा क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यह क्षेत्र बाद में रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में आया, इसलिए इससे पहले बनाई गई इमारतों के लिए प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत करवाने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं थी। हालांकि, रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस दावे को खारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि यह यूनिवर्सिटी लंबे समय से कानूनी मुकदमों से घिरी हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी अधिकांश भूमि पहले ही अपने नियंत्रण में ले चुकी है। इसी वर्ष के जनवरी महीने

में आजम खान एवं उनके परिजनों ने यूनिवर्सिटी की प्रबंधकीय समिति से त्यागपत्र दे दिया था। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी की नींव 18 सितंबर 2006 को रखी गई थी। तब आजम खान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। हालांकि, बाद में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चले जाने के कारण इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कार्यक्रम ठंडे बस्ते में पड़ गया था। वर्ष 2012 में जब राज्य में समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी तब 18 सितंबर 2012 को इस यूनिवर्सिटी का विधिवत उद्घाटन किया गया।

राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि यह नोटिस सरकार की मुस्लिम विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने सवाल उठाया था कि सत्तारूढ़ भाजपा जानबूझकर मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में पीछे धकेलना चाहती है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कहा था कि मोहम्मद आजम खान के खिलाफ यह कार्रवाई व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश की 90 प्रतिशत इमारतों का नक्शा स्वीकृत नहीं है तो क्या उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी?

**उर्दू टाइम्स** (17 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई की निंदा की थी। बोर्ड ने आरोप लगाया था कि एक ओर सरकार मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में विफल रही है, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों ने अपनी मेहनत से जो शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं उन्हें भी वह मिट्टी में मिला रही है। बोर्ड ने इस सरकारी कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया था।

**उर्दू टाइम्स** (22 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जो लोग पहले मुसलमानों को यह ज्ञान दिया करते थे कि वे शिक्षा पर ध्यान दें, वे आज पूरी तरह खामोश हैं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि वर्तमान मुस्लिम नेतृत्व दोहरे मापदंड अपना रहा है और वह मुस्लिम हितों का संरक्षण करने में पूरी तरह विफल रहा है।

**हिंदुस्तान** (29 जुलाई) ने अपने संपादकीय में जौहर यूनिवर्सिटी को प्रशासन द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि

सत्तारूढ़ दल शिक्षा को भगवा रंग में रंगने के लिए प्रतिबद्ध है। जौहर यूनिवर्सिटी उसके इस अभियान में बाधक है, इसलिए उसका नामोनिशान मिटाने का फैसला किया जा रहा है।

**हमारा समाज** (29 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है वह मुस्लिम शिक्षण और धार्मिक संस्थाओं को अपना निशाना बना रही है। जौहर यूनिवर्सिटी के इस घटनाक्रम से यह साफ होता है कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों को हर क्षेत्र में पिछड़ा रखना चाहती हैं। देश के संविधान और बहुसांस्कृतिक ढांचे की रक्षा के लिए इस यूनिवर्सिटी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

**उर्दू टाइम्स** (26 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से वह संविधान की इस परिकल्पना की धज्जियां उड़ा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से ध्वस्त करने का आदेश दिया जाना मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। समाचारपत्र ने अपील की है कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि लोग सजग हों और सरकार की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरें।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (24 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है उसने देश में मुसलमानों का जीना दूभर कर रखा है। संविधान में दिए गए उनके अधिकारों को मटियामेट किया जा रहा है, क्योंकि राज्य विधानसभाओं में भाजपा को बहुमत प्राप्त है। इसके सहारे वह देश से इस्लाम व शरिया को खत्म करने के लिए मुसलमानों पर जबरन समान नागरिक संहिता (यूसीसी) थोप रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के आदेश से साफ है कि सत्तारूढ़ दल यह चाहता है कि मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान, कुरान और रसूल से मुंह मोड़ लें। आज देशभर में मिल्लत (मुस्लिम समुदाय) सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। हर राज्य में मुसलमान असुरक्षा का शिकार हैं और उन्हें संविधान में दिए गए अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। समाचारपत्र ने मुसलमानों से अपील की है कि वे आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हों और कुरान व रसूल की रक्षा के लिए मैदान में उतरें।

**उर्दू टाइम्स** (21 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आलोचना है कि सरकार की मदद के बिना मुसलमानों ने अपनी जमा पूंजी को खर्च करके अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी स्थापित की थी उसे भी सत्तारूढ़ दल मुस्लिम विरोधी नीति के कारण नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर कानूनी दृष्टि से इन इमारतों के निर्माण में कोई त्रुटि है तो उसे प्रशासनिक स्तर पर दूर करने के लिए आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? इससे साफ है कि सरकार की नीति मुस्लिम विरोधी है।

**एतेमाद** (20 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि मुसलमानों की मस्जिदों व दरगाहों को निशाना बनाने वाली भगवा पार्टी ने

अब उनकी शिक्षण संस्थाओं को भी मिट्टी में मिलाने का अभियान शुरू कर दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या 20 प्रतिशत है और वे शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। भाजपा यह नहीं चाहती कि मुसलमान किसी भी क्षेत्र में विकास करें। वह उन्हें पिछड़ा रखना चाहती है। यही कारण है कि उसने इस यूनिवर्सिटी को अपना निशाना बनाया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि वर्ष 2004 में रामपुर में पहली सरकारी उर्दू यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। तत्कालीन राज्यपाल टी.वी. राजेश्वर ने इसमें अड़ंगे लगा दिए थे और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी इसका विरोध किया था। 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। अब भाजपा राजनीतिक बदले की भावना के तहत इस यूनिवर्सिटी को तबाह करने के लिए कटिबद्ध है। उसे इसमें पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। भाजपा मुस्लिम छात्रों के भविष्य को जानबूझकर अंधकारमय बनाना चाहती है।

**अवधनामा** (19 जुलाई) ने अपने संपादकीय में राज्य सरकार द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किए जाने के फैसले की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त है। क्या भाजपा सरकार इसे केवल इसलिए तबाह करना चाहती है, क्योंकि इससे आजम खान जुड़े हुए हैं? भाजपा की सांप्रदायिक सरकार इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत सैकड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों और हजारों छात्रों के भविष्य को क्यों अंधकारमय बनाना चाहती है? क्या यह राजनीतिक बदला नहीं है?

**औरंगाबाद टाइम्स** (19 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार का यह फैसला कानून व संविधान के आधार पर नहीं, बल्कि यह भाजपा की मुस्लिम विरोधी नीति पर आधारित है। सत्तारूढ़ दल मुसलमानों को हर क्षेत्र में पिछड़ा रखना चाहता है और वह देश से इस्लाम का नामोनिशान मिटाना चाहता है ताकि इसे हिंदू राष्ट्र में बदला जा सके।

## मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित

**इंकलाब** (22 जुलाई) के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा ने विपक्ष के विरोध के बावजूद 'मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026' को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। विधेयक के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला करार दिया है और कहा है कि इस कानून के लागू होने से पर्सनल लॉ में एकरूपता आ जाएगी। विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत तीन तलाक और हलाला को अपराध घोषित किया गया है। एक से अधिक विवाह करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त विवाह और तलाक दोनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने

कहा कि विवाहित या अविवाहित अभिभावकों के जैविक और गोद लिए गए बच्चों को उत्तराधिकार कानून में समान अधिकार प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण इस विधेयक का विरोध कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अब भविष्य में मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा। कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल ने विधानसभा का सत्र शुरू होते ही इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर से मांग की कि यह विधेयक बेहद संवेदनशील और विवादित है, इसलिए इसके सभी कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए इसे सदन की प्रवर समिति के पास भेजा जाए।

**उर्दू टाइम्स** (20 जुलाई) के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया कि यूसीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसके सामने पेश होने वाली 80 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं और 40 प्रतिशत मुस्लिम पुरुषों ने इस प्रारूप का समर्थन किया था। इससे साफ है कि इस कानून के पक्ष में अल्पसंख्यकों के एक बड़े वर्ग में भी आम सहमति है। सरकार के अनुसार इस कमेटी को लगभग 10 लाख लिखित सुझाव प्राप्त हुए थे। इस कानून में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखी गई है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (22 जुलाई) ने अपने संपादकीय में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक पारित किए जाने की आलोचना की है। समाचारपत्र का कहना है कि सत्तारूढ़ दल ने समाज की ज्वलंत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर यह विवादित विधेयक पारित किया है। संपादकीय में कहा गया है कि एक तरफ सरकार और उसके समर्थक इसे संवैधानिक समानता लाने, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ

मुसलमानों में यह डर पैदा हो गया है कि इस कानून की आड़ में उनके धार्मिक मामलों और शरिया कानूनों के अनुसार जीवन जीने का मौलिक अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा।

समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के जरिए देश के मुसलमानों को यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार उनके शरिया कानूनों में किसी तरह का दखल नहीं देगी। बाद में भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और भरोसा दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण धाराएं शामिल की गई थीं। इसके बावजूद वर्तमान सत्तारूढ़ दल बहुसंख्यक समाज के वोट प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के असंवैधानिक हथकंडे अपना रहा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि यूसीसी को लागू करना केवल एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि इसका संबंध संविधान, अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी और देश की बहुसंस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है, जहां शताब्दियों से विभिन्न धर्म, सभ्यताएं, भाषाएं और रीति-रिवाज मौजूद हैं। संविधान निर्माताओं ने इस हकीकत को देखते हुए अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान किया था। संविधान की धारा 25 हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देती है। यूसीसी कानून संविधान की इस मूल भावना के खिलाफ है।

यूसीसी के समर्थकों का तर्क है कि देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित कानून विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए अलग-अलग हैं। इसके कारण कई बार कानूनी जटिलताएं पैदा होती हैं, इसलिए सभी देशवासियों के लिए समान कानून होना चाहिए। दूसरी ओर, मुसलमानों का कहना है कि पर्सनल लॉ उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाह, तलाक, खुला और उत्तराधिकार आदि मामले कुरान और शरिया के निर्देश के अनुसार तय किए जाते हैं। ये शरिया कानून खुदा और रसूल के बनाए हुए हैं। किसी भी सरकार या अदालत को शरिया कानून में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

**हिंदुस्तान** (21 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता संभालते ही भाजपा ने तीन मुख्य घोषणाएं की थीं- अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और पूरे देश में यूसीसी लागू करना। राम मंदिर और धारा 370 के बाद अब भाजपा अपने इसी तीसरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। इस नीति के तहत सबसे पहले इसे उत्तराखंड में लागू किया गया और फिर गुजरात तथा असम में भी इसे लागू किया गया। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालते ही भाजपा ने यूसीसी पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार भी इसे अपने राज्य में लागू करने का निर्णय ले चुकी है। इससे यह साफ पता चलता है कि भाजपा पूरे देश में यूसीसी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में भारी बेचैनी और असुरक्षा फैल गई है। वे यह

महसूस कर रहे हैं कि भाजपा इस कानून के जरिए उनके निजी धार्मिक मामलों में अनुचित दखल दे रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि जब भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी को शामिल किया जा रहा था तब संविधान सभा के भीतर भी इसका पुरजोर विरोध हुआ था। चूंकि वर्तमान में संसद में भाजपा के पास दो तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए वह इसे केंद्रीय स्तर पर पूरे देश में एक साथ लागू करने में असमर्थ है। दरअसल, यह भाजपा का एक सोचा-समझा राजनीतिक हथकंडा है, जिसकी आड़ में वह बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट बटोरना चाहती है।

**एतेमाद** (13 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि सरकार ने उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का फैसला कर लिया है। सच तो यह है कि भाजपा सत्तारूढ़ होने के बाद कुरान और शरिया की अलग पहचान को खत्म करने पर कटिबद्ध है। वह मुसलमानों को बहुसंख्यक समाज में जबरन शामिल करने का प्रयास कर रही है।

## गुजरात में एंटी-रैडिकलाइजेशन सेल का विरोध

**इंकलाब** (20 जुलाई) के अनुसार गुजरात के गुप्तचर ब्यूरो ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में प्रत्येक जिले में एंटी-रैडिकलाइजेशन सेल (एआरसी) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्णय को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने चिंता व्यक्त की है। गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक मुजाहिद नफीस ने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कट्टरपंथी व्यक्ति की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है, जो अतिवादी विचारधारा के आधार पर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करे, अन्य धर्मों के लोगों के प्रति घृणा को बढ़ावा दे या सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन अथवा अन्य संचार माध्यमों के जरिए नफरत फैलाए।

ज्ञापन में आरोप लगाया है कि इन निर्देशों से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पहचान और

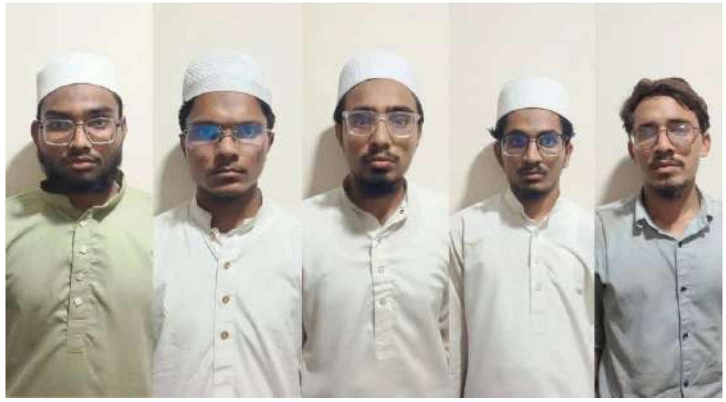

संस्थाओं को निशाना बनाए जाने की आशंका उत्पन्न होती है। इसमें दाढ़ी रखने, नकाब पहनने, अरबी शब्दों के प्रयोग, मदरसों, उनके शिक्षकों और उलेमाओं से संबंधित रिकॉर्ड रखने जैसे बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि आदेश लागू होने के बाद पुलिस और गुप्तचर विभाग के अधिकारी पूरे गुजरात में मस्जिदों और मदरसों का दौरा कर रहे हैं तथा उनसे संबंधित बैंक खातों के अलावा इमामों, उलेमाओं और शिक्षकों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। गुजरात के मुस्लिम संगठनों द्वारा इस परिपत्र को अदालत में चुनौती देने पर भी विचार किया जा रहा है। 'गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति' ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (28 जुलाई) ने अपने संपादकीय में गुजरात सरकार द्वारा एंटी-रैडिकलाइजेशन सेल स्थापित करने की आलोचना की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि देश में लोकतांत्रिक-सेक्युलर ढांचा खतरे में पड़ गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा मुसलमानों के खिलाफ उत्तेजक भाषण दिए जाते हैं और उनका बहिष्कार व नरसंहार करने की अपीलें की जाती हैं। इसके अतिरिक्त बुलडोजरों से उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है। सरकार की वर्तमान राजनीति और सामाजिक नीति को समझने के लिए गुजरात सरकार द्वारा तैयार की गई एसओपी पर ध्यान देना जरूरी है। यह केवल एक एसओपी नहीं, बल्कि मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक आजादी को खत्म करने की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाचारपत्र ने लिखा है कि गुजरात की भाजपा सरकार ने 2022 के अपने चुनावी घोषणापत्र में एंटी-रैडिकलाइजेशन सेल स्थापित करने का वादा किया था, जिसे अब कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष बल यानी एआरसी बनाई जा रही है, जिसके लिए 139 नियुक्तियां करने की मंजूरी दी गई है। दरअसल, यह परिपत्र आम मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। दूसरी ओर, गोरक्षा के नाम पर हिंसा भड़काने वाले गिरोहों और हिंदुत्ववादी कट्टरपंथियों द्वारा मुसलमानों के बहिष्कार या उनके नरसंहार की अपीलों पर सरकार ने मौन धारण कर रखा है। वहीं, गुजरात सरकार के परिपत्र में अरबी शब्दों के इस्तेमाल पर भी मुसलमानों को अतिवादी घोषित करने की व्यवस्था की गई है।

परिपत्र में कहा गया है कि मुस्लिम देशों में जाने के बाद वापस आने वाले लोगों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए। उन लोगों पर भी नजर रखी जाए जो मदरसों में आते-जाते हैं या अचानक धार्मिक कर्तव्य का हवाला देकर पढ़ाई और नौकरी छोड़ देते हैं। इस परिपत्र से यह साफ हो जाता है कि यह परिपत्र सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने और उनका जीना दूभर करने के लिए तैयार किया गया है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (18 जुलाई) के अनुसार गुजरात एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पांच संदिग्धों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को अदालत में पेश कर आठ दिनों की

पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इनके कब्जे से आईईडी और बम बनाने की सामग्री बरामद हुई है। साथ ही यह जानकारी भी मिली है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर इन लोगों ने बम बनाकर सुनसान इलाकों में कई बार धमाकों का अभ्यास भी किया था।

## राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक

**हमारा समाज** (18 जुलाई) के अनुसार जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई पर दो सप्ताह की रोक लगा दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले में अगली सुनवाई के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ का रुख करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, हुजैफा अहमदी, निजाम पाशा और ताहिर हकीम आदि ने पैरवी की। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने की।

गौरतलब है कि 20 जून को जमीयत उलेमा के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल ने उन क्षेत्रों में जाकर मुस्लिम समुदाय से संबंधित विभिन्न इमारतों को ध्वस्त किए जाने के संबंध में जारी किए गए नोटिसों का अध्ययन किया। इसी के आधार पर प्रभावित लोगों की ओर से लगभग 40 याचिकाएं राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की गईं, जबकि अन्य प्रभावित लोगों ने भी अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 60 मामले उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचे, लेकिन अदालत ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके बाद जमीयत उलेमा ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों, मदरसों और मजारों को बुलडोजरो से ध्वस्त किया जा रहा है और इस संबंध में सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वस्तीकरण अभियान पर दो सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित उच्च न्यायालय ही निर्णय ले सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने 13 नवंबर 2024 के ऐतिहासिक फैसले में यह कह चुका है कि किसी भी इमारत को ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रिया और संविधान के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।

**इंकलाब** (15 जुलाई) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय ने भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को सरकार द्वारा जारी किए

गए कारण बताओ नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय मानते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा से संबंधित मामलों में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अधिनियम की धारा 139 और गृह मंत्रालय की वर्ष 2021 की अधिसूचना का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र और परिचालन अधिकारों का दायरा बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि प्रभावित लोगों को जारी किए गए नोटिसों में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों से राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार का खतरा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि केवल एक ही वर्ग के धार्मिक स्थलों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इस पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह अधिसूचना जारी की थी। इसका उद्देश्य सीमा के निकट तस्करी, घुसपैठ और अन्य ऐसी गतिविधियों को रोकना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

**इंकलाब** (5 जुलाई) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी हिंद के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव शफी मदनी ने बताया कि जमात-ए-इस्लामी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 29 जून से 2 जुलाई तक बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जिन्हें प्रशासन द्वारा उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किए जाने के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं।

जमात-ए-इस्लामी ने आरोप लगाया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियानों की आड़ में जानबूझकर मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लामी इस गंभीर मुद्दे को न्यायपालिका के समक्ष प्रभावी तरीके से उठाएगी ताकि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण को रोका जा सके।

# नेपाल में कांवड़ यात्रा पर हमले के बाद सांप्रदायिक दंगे

**एतेमाद** (31 जुलाई) के अनुसार नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज कस्बे में कांवड़ यात्रा पर हुए हमले के बाद नेपाल के कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे हैं। सांप्रदायिक दंगों की आग बड़ी तेजी से फैल रही है। दंगों को रोकने के लिए तीन जिलों और एक दर्जनों कस्बों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब तक कम से कम तीन लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 16 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन दंगों में मरने वाले लोगों में से दो की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक 22 वर्षीय युवक जय प्रकाश मेहता और एक अन्य 25 वर्षीय युवक ओम प्रकाश मेहता शामिल हैं। तीसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

**उर्दू टाइम्स** (31 जुलाई) के अनुसार दंगों की शुरुआत तब हुई जब कांवड़ यात्रियों का एक जत्था एक मस्जिद के पास से डीजे बजाते हुए गुजर रहा था। मस्जिद के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और तेज संगीत व धार्मिक झंडे लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद पथराव हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं। बताया जाता है कि पुलिस की गोली से तीन लोग मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए। इस घटना की खबर फैलते ही मधेसी प्रांत के तीन जिलों में दंगे भड़क उठे। प्रशासन ने दीवानगंज, हरिनगर, कप्तानगंज, इनरुवा और लाहान समेत एक दर्जन से अधिक कस्बों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है।

तराई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए नेपाल पुलिस के साथ-साथ नेपाल सशस्त्र पुलिस बल तथा सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। काठमांडु स्थित प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय असेंबली में भी इन दंगों पर चिंता व्यक्त की गई। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संसद में सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सांसद समिना मिया ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक तत्व जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत

चिंता व्यक्त की है। संपादकीय में कहा गया है कि नेपाल में सदियों से सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा है, लेकिन इन दंगों ने नेपाल की इस ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा पर गहरी चोट की है। समाचारपत्र ने लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ असामाजिक और राजनीतिक तत्व नेपाल में लगातार सांप्रदायिक नफरत की आग भड़काने का प्रयास कर रहे थे और अब वे अपने मंसूबों में सफल होते दिख रहे हैं। नेपाल और भारत न केवल पड़ोसी देश हैं, बल्कि इन दोनों देशों के बीच इतिहास, संस्कृति और जनसंपर्क के सदियों पुराने गहरे रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा ने इन संबंधों को और भी मजबूती दी है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में रोजगार और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भी नेपाल में शांति व्यवस्था भंग होती है तो उसकी गूंज केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव भारत की जनता पर भी पड़ता है।

समाचारपत्र ने कहा है कि नेपाल के पूर्व राजा वीरेन्द्र विक्रम शाह के शासनकाल में भी कुछ तत्वों ने नेपाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास किया था, लेकिन वे तब सफल नहीं हो सके थे। मुस्लिम समुदाय सदियों से नेपाल में शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है। वहां मस्जिदों और मदरसों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि, अब प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के शासनकाल में वहां भी धार्मिक नफरत की आंधी चल पड़ी है। मस्जिदों और मदरसों के बाहर उत्तेजक घटनाओं के जरिए वहां की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (3 अगस्त) ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बनने वाले नफरत के माहौल की लपटें नेपाल तक भी पहुंच गई हैं। फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने तराई क्षेत्र में प्रदर्शनों और धार्मिक यात्राओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

**इंकलाब** (31 जुलाई) के अनुसार नेपाल में हुई इन सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान कई स्थानों पर व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ और लूटपाट की खबरें आई हैं। इस हिंसा में कई संपत्तियों व दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है और उनमें लूटपाट की गई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इन दंगों पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने और सदियों पुराने सामाजिक भाईचारे को बरकरार रखने की अपील की है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई है।

**इंकलाब** (1 अगस्त) के अनुसार नेपाल के जनकपुर, सुनसरी और मोरंग जिलों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने लगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के संवेदनशील हालातों को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल और बिहार पुलिस ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ या उपद्रव को रोका जा सके।

**इंकलाब** (1 अगस्त) ने अपने संपादकीय में नेपाल में सांप्रदायिक दंगों की आग भड़कने पर

हालांकि, पूरे नेपाल में मुसलमानों की जनसंख्या कुल आबादी के पांच प्रतिशत से भी कम है, लेकिन भारत से सटे नेपाल के तराई क्षेत्रों में उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। समाचारपत्र ने नेपाल सरकार से मांग की है कि इस सांप्रदायिक आग को हवा देने वाले और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले तत्वों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि नेपाल में सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारा बरकरार रह सके।

## बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी

**कौमी भारत** (29 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने ढाका में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया है कि पिछले छह महीनों में देशभर में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के बीच बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की 257 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में कम से कम 44 लोगों की मौत हुई है। इस अवधि में पांच स्थानों पर अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुईं, जबकि अपहरण, जबरन वसूली और प्रताड़ना की 10 घटनाएं हुईं। इसके अतिरिक्त 42 मामलों में लोगों पर जानलेवा हमले किए गए। उपासना स्थलों से संबंधित कुल 62 घटनाएं सामने आईं, जिनमें मूर्तियों को खंडित करना, तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी शामिल है। वहीं, धार्मिक स्थलों की संपत्तियों पर जबरन कब्जे के 15 मामले दर्ज किए गए।

उपद्रवियों ने अल्पसंख्यकों के आवासीय और व्यावसायिक केंद्रों को निशाना बनाते हुए 47 स्थानों पर लूटपाट की। इसके अलावा इस्लाम और पैगंबर की तौहीन के झूठे आरोपों की आड़ में नौ घटनाओं में भीड़ द्वारा लोगों पर हिंसक हमले किए गए और उन्हें प्रताड़ित किया गया।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (26 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उनके त्यागपत्र के बाद बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) ने मांग की है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में अदालत में मुकदमा चलाया जाए।

पार्टी का आरोप है कि शहाबुद्दीन ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने में हसीना सरकार का पूरा सहयोग किया था। उनका रुख बांग्लादेश की जनता के खिलाफ था और उन्होंने शेख हसीना की दमनकारी सरकार का समर्थन किया था।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'प्रोथोम आलो' के अनुसार एनसीपी के सचिव अख्तर हुसैन ने ढाका में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहाबुद्दीन की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त था, वह उनके त्यागपत्र देने के बाद अब समाप्त हो गया है। शहाबुद्दीन के त्यागपत्र के बाद बांग्लादेश संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया है। गौरतलब है कि निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन 24 अप्रैल 2023 को अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे।

**उर्दू टाइम्स** (23 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के उकसावे पर बांग्लादेश ने इस क्षेत्र में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को फिर से सक्रिय करने की मांग की है। बांग्लादेश ने यह मांग भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेजबानी में हुई 'बिम्सटेक' के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के दौरान की। गौरतलब है कि सार्क पिछले 10 वर्षों से लगभग निष्क्रिय पड़ा हुआ है। पाकिस्तान लंबे समय से इसे पुनर्जीवित करने की मांग करता आ रहा है और अब बांग्लादेश ने भी इस मामले में उसके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलहाकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) ए.के.एम. शम्सुल इस्लाम ने कहा कि सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि इसकी स्थापना का आधिकारिक प्रस्ताव बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने वर्ष 1980 में ही दे दिया था। भारत के उरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने वर्ष 2016 में पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इसके बाद धीरे-धीरे श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव ने भी इस संगठन में रुचि लेना बंद कर दिया था। भारत ने अपना पूरा ध्यान सार्क से हटाकर वर्ष 1997 में स्थापित एक अन्य क्षेत्रीय संगठन 'बिम्सटेक' (बीआईएमएसटीईसी) को सक्रिय करने पर लगा दिया था। इस संगठन में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड शामिल हैं।

# पीओजेके में बढ़ता नागरिक असंतोष

**चट्टान** (2 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में बढ़ती महंगाई और दमनकारी सैन्य प्रशासन के खिलाफ स्थानीय जनता के विद्रोह की आग तेजी से भड़क उठी है। जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर पिछले दो महीने से जारी इस जनांदोलन को दबाने में पाकिस्तान सरकार अब तक पूरी तरह विफल रही है। पीओजेके की स्थानीय पुलिस ने जब अपने ही प्रदर्शनकारी नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया तो मजबूरन प्रशासन को पंजाब प्रांत से पुलिस, फ्रंटियर कोर और पाकिस्तानी रेंजर्स जैसे अर्धसैनिक बलों तथा सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को बुलाना पड़ा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारी गतिरोध के कारण पिछले दो महीनों से पीओजेके में जनजीवन पूरी तरह ठप है। सभी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद हैं। अवामी एक्शन कमेटी द्वारा मुजफ्फराबाद स्थित विधानसभा का अनिश्चितकालीन घेराव करने की घोषणा के बाद से स्थिति बेहद विस्फोटक और नाजुक हो गई है। प्रदर्शनकारियों के बड़े-बड़े जत्थे पीओजेके के विभिन्न स्थानों से रावलाकोट और मुजफ्फराबाद की ओर लगातार मार्च कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार अर्धसैनिक बलों की अंधाधुंध गोलीबारी में अब तक 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि गैर-सरकारी सूत्रों का दावा है कि मृतकों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है।

**चट्टान** (3 अगस्त) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अब तक सैकड़ों नागरिकों को गोली मार दी है। समाचारपत्र ने लिखा है कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और वहां कथित 'आजाद पीओजेके' व 'गिलगित-बाल्टिस्तान काउंसिल' के नाम पर पूरी तरह पाकिस्तानी प्रशासन चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को आज तक उनके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित रखा गया है। वर्ष 1974 के तथाकथित 'एजेके कॉन्सिटट्यूशन एक्ट' की आड़ में पाकिस्तान द्वारा यह झूठा दावा किया जाता है कि यह क्षेत्र वहां की स्थानीय सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन हकीकत में इसका पूरा प्रशासन इस्लामाबाद में स्थित 'कश्मीर मामलों के संघीय मंत्रालय' द्वारा चलाया जाता है।

पीओजेके में हाल ही में नागरिक असंतोष तब और अधिक भड़क उठा, जब स्थानीय प्रशासन ने चुनावों से ठीक पहले एक प्रमुख नागरिक संगठन 'जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' पर आतंकवाद निरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया और उसे लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया। वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है और जनजीवन पूरी तरह ठप है। अधिकांश क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है तथा मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है।

**चट्टान** (2 जुलाई) के अनुसार जब पीओजेके में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो जनता का आक्रोश भड़क उठा। अवामी

एक्शन कमेटी की ओर से लगातार महंगाई कम करने और प्रशासन में स्थानीय नागरिकों को उचित भागीदारी देने की मांग की जा रही थी। विवाद का एक बहुत बड़ा कारण विधानसभा की वे 12 आरक्षित सीटें थीं, जो पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए तय की गई हैं। स्थानीय प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस्लामाबाद सरकार इन सीटों का इस्तेमाल चुनावों में धांधली करने और अपनी पसंदीदा सरकार चुनने के लिए करती है। जब सरकार ने इन मांगों पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया तो स्थिति और बिगड़ गई।

इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में हो रहे विधानसभा चुनाव किसी भी तरह से निष्पक्ष नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग (नवाज) बड़े पैमाने पर धांधली करके इस चुनाव को जबरन जीतने का प्रयास कर रही है।

**एतेमाद** (29 जुलाई) के अनुसार पीओजेके में विधानसभा चुनावों के मतदान के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। कोटली जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुए हिंसक झड़प में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के कई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। पीपीपी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम के समर्थकों ने मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा करने के लिए गोलियां चलाई थीं। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने आरोप लगाया कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। भिंबर जिले में भी मुस्लिम लीग (नवाज) के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान केंद्र पर कब्जा करने और मतपत्रों को आग के हवाले करने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

# पाकिस्तान के हवाई हमलों में 500 अफगान नागरिकों की मौत

**कौमी भारत** (25 जुलाई) के अनुसार मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मार्च 2026 में काबुल स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा किए गए हमले की तीखी आलोचना की है। संगठन का कहना है कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करके किया गया था और इसे एक संभावित 'युद्ध अपराध' के रूप में देखा जाना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हमले से संबंधित 60 से अधिक सैटेलाइट चित्र भी जारी किए हैं। संगठन ने कहा है कि उनकी गहन जांच के दौरान पाकिस्तान के इस दावे की कोई पुष्टि नहीं होती है कि उस स्थान पर अफगानिस्तान का कोई हथियारों का भंडार या आतंकवादियों का कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थित था। संगठन ने दावा किया है कि पाकिस्तान के उस हवाई हमले में 269 अफगान नागरिक मारे गए थे। इसके साथ ही अक्टूबर 2025 में दोनों देशों के बीच सीमा पर बढ़े तनाव के बाद से पाकिस्तान के हवाई हमलों में अब तक 500 से

अधिक अफगान नागरिक मारे जा चुके हैं और एक हजार से अधिक घायल हुए हैं।

**कौमी भारत** (3 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान पुलिस ने पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में 150 से अधिक अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 13 अफगान डॉक्टर भी शामिल हैं, जो स्थानीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि देशभर में बिना वैध वीजा के रह रहे अफगान नागरिकों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक लाखों अवैध नागरिकों को डिपोर्टेशन सेंटर में भेजा जा चुका है, जहां से उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिना कानूनी दस्तावेजों के रह रहे अफगान मूल के नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मट्टानी क्षेत्र स्थित उनकी बस्तियों को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन के अनुसार इन बस्तियों में अफगान मूल के नागरिक हजारों की संख्या में अवैध रूप से रह रहे थे। अवैध रूप से रह रहे इन लोगों को प्रशासन द्वारा हिरासत केंद्रों में भेजा जा रहा है, जहां से इन्हें जबरन अफगानिस्तान की सीमा में धकेला जा रहा है।

**कौमी भारत** (20 जुलाई) के अनुसार अफगान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है कि पाकिस्तान वहां रह रहे अफगान नागरिकों को बड़े पैमाने पर जबरन निष्कासित कर रहा है। हालांकि, उनके पास संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा जारी वैध शरणार्थी प्रमाण पत्र और पाकिस्तान के आधिकारिक पंजीकरण कार्ड भी मौजूद हैं। शिकायत में कहा गया है कि जिन लोगों को जबरन निष्कासित किया जा रहा है, उनमें से अधिकांश पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं।

**बीबीसी** (3 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक शांति रैली के दौरान पुलिस स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह धमाका तब हुआ जब स्वात जिले के काबल कस्बे में स्थित पुलिस स्टेशन के ठीक सामने 'स्वात पीस रैली' चल रही थी। इस रैली का आयोजन स्थानीय नागरिक संगठन 'स्वात अमन जिरगा' ने किया था। इसमें शामिल लोग इलाके में शांति की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे और हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए थे। मृतकों में पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त आम नागरिक और बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद प्रांत के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को तुरंत उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

# अफगानिस्तान में शादी और सगाई की रस्मों पर नए प्रतिबंध

**बीबीसी** (29 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान के हज और धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने 10 पृष्ठों का एक आधिकारिक दिशा-निर्देश दस्तावेज जारी किया है। इसके तहत देश के सभी काजियों और निकाह पढ़ाने वालों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि निकाह के अवसर पर किसी भी प्रकार के संगीत समारोह, नृत्य, आतिशबाजी, दुल्हनों के मेकअप, कृत्रिम बाल और इत्र के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहे। यह नया आदेश अफगान तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा की ओर से जारी किया गया है, जिसके तहत निकाह, सगाई और अन्य सभी पारिवारिक आयोजनों में केवल शरिया कानूनों को ही लागू किया जाएगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में जारी हुए पिछले निर्देशों को अब और अधिक कड़ा कर दिया गया है। इन नए नियमों के अनुसार सगाई के अवसर पर दुल्हा और दुल्हन एक-दूसरे को अंगूठी नहीं पहना सकते और न ही ऐसे किसी समारोह का आयोजन किया जा सकता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों एक साथ शामिल हों। ताबिलान ने देश के सभी ब्यूटी पार्लरों पर प्रतिबंध लगाते हुए महिलाओं के वहां जाने पर रोक लगा दी है और नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा व शरिया अदालतों में मुकदमे का प्रावधान किया है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निकाह का आयोजन पैगंबर के निर्देशों के अनुसार पूरी सादगी से मस्जिदों के भीतर होना चाहिए, जिसमें भारी दहेज, आभूषणों का प्रदर्शन या तड़क-भड़क वाली दावतें शामिल न हों। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए बिना हिजाब या बुर्के के घर से बाहर निकलने और बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

# हमास गाजा बोर्ड ऑफ पीस समझौते से सहमत

**इंकलाब** (1 अगस्त) के अनुसार 'गाजा बोर्ड ऑफ पीस' और हमास युद्धविराम के अगले चरण के सिलसिले में एक रोडमैप पर सहमत हो गए हैं। इसके तहत हमास अपने सभी हथियार किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के हवाले करने के लिए तैयार हो गया है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अनुसार इस समझौते का लक्ष्य गाजा में नए प्रशासन की स्थापना, सुरक्षा की बहाली, नवनिर्माण और आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। हमास के नि:शस्त्रीकरण के बाद इजरायली सेना ने भी गाजा से पूरी तरह से वापसी पर सहमति व्यक्त की है। हमास ने भी इस समझौते की पुष्टि की है और यह आशा व्यक्त की है कि मध्यस्थ इस समझौते को लागू करने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। गाजा बोर्ड ऑफ पीस ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि पहली बार हमास ने नि:शस्त्रीकरण की योजना को स्वीकार किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि गाजा में हमास और अन्य सभी सशस्त्र संगठन नि:शस्त्रीकरण के लिए तैयार हो गए हैं। इस नि:शस्त्रीकरण के बाद गाजा से इजरायली सेना की वापसी शुरू हो जाएगी और बाद में गाजा का प्रबंधन एक नए फिलिस्तीनी प्रशासनिक संगठन के हवाले कर दिया जाएगा। यह समझौता ट्रम्प के 20-सूत्रीय शांति समझौते को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रम्प ने कहा है कि इसके बाद विभिन्न देशों की आर्थिक सहायता से एक अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इस योजना में इजरायल को इस बात की गारंटी दी जाएगी कि भविष्य में गाजा से उसके खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जाएगी और न ही गाजा को किसी अन्य आक्रमण के अड्डे के रूप में इस्तेमाल होने दिया जाएगा। गाजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल और फिलिस्तीनी पुलिस की होगी। ट्रम्प ने कहा कि इस समझौते को कार्यान्वित करने में मिस्र, कतर

और तुर्किये का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि, इजरायल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रम्प प्रशासन ने जो शर्तें लगाई हैं, वे इजरायल के लिए संतोषजनक नहीं हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार हमास की वार्ता टीम के एक सदस्य गाजी हमद ने कहा है कि अगर इजरायली सरकार ने इस समझौते के अनुरूप काम नहीं किया तो हमास इस समझौते को ठुकरा देगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता बहुत कठिन परिस्थितियों में किया गया है और यह काफी जटिल है, इसलिए इसे कार्यान्वित करना आसान नहीं है। इस संबंध में इजरायल को शुरुआत करनी होगी और उसे गाजा से अपनी सेना वापस बुलानी होगी। गाजी हमद ने कहा कि अगर इजरायल ने इस समझौते को लागू नहीं किया तो हमास भी अपने हथियार अंतरराष्ट्रीय संगठन को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी ओर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा है कि जब तक हमास नि:शस्त्रीकरण का पालन पूरी तरह से नहीं करता तब तक इजरायल गाजा से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हमास द्वारा नि:शस्त्रीकरण के बाद भी अगर इजरायल गाजा से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता है तो इससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को घोर निराशा होगी। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि वाशिंगटन इजरायल से कोई नया समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि वह उसी 20-सूत्रीय शांति समझौते को कार्यान्वित करने की मांग कर रहा है, जिस पर इजरायल पहले ही सहमति व्यक्त कर चुका है।

**इंकलाब** (21 जुलाई) के अनुसार हमास ने खलील अल-हय्या को अपना नया प्रमुख चुना है। वे अक्टूबर 2024 में युद्ध के दौरान मारे गए याह्या सिनवार का स्थान लेंगे। खलील अल-हय्या का जन्म 1960 में गाजा में हुआ था और हमास के गठन के समय से ही वे इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इससे पहले उनका संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से था। खलील अल-हय्या 2006 से फिलिस्तीनी विधान परिषद के सदस्य हैं। हमास प्रमुख चुने जाने से पहले वे संगठन के उपाध्यक्ष थे। इस आंतरिक चुनाव में उन्होंने खालिद मशाल को हराया है। खलील अल-हय्या वर्तमान में कतर में रह रहे हैं।

## सऊदी अरब का हूतियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गठबंधन

**कौमी तंजीम** (31 जुलाई) के अनुसार सऊदी अरब ने लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने का फैसला किया है ताकि समुद्री यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। गौरतलब है कि 20 जुलाई को यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की थी। हूतियों का आरोप है कि सऊदी नेतृत्व पिछले कई वर्षों से यमन के मामलों में हस्तक्षेप कर वहां के संसाधनों को लूट रहा है। इस नाकेबंदी के बाद

जब हूतियों ने लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों और जहाजों को निशाना बनाया तो इसके जवाब में सऊदी अरब ने यमन के अल-हुदैदाह बंदरगाह पर स्थित हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। बताया जाता है कि सऊदी सरकार ने इस गंभीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाने का प्रयास किया था।

लाल सागर में उत्पन्न इस नई परिस्थिति के कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक नई परेशानी पैदा हो गई है, क्योंकि इसके कारण ईरान और इजरायल के बीच तनाव में और वृद्धि हो गई है। खाड़ी के देश इस विवाद में उलझना नहीं चाहते। कुवैत, कतर और बहरीन के विदेश मंत्रियों ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से अनुरोध किया है कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए प्रयास करें। इन तीनों देशों ने ईरान और उससे संबंधित मिलिशिया संगठनों की इराक और यमन में बढ़ती गतिविधियों पर भी चिंता प्रकट की है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यमन की सरकार ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि हूती विद्रोही लाल सागर और 'बाब अल-मंदेब' से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूल करने का तंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इस फैसले की यमन के सूचना मंत्री मोअम्मर अल-एर्यानी ने आलोचना की है और कहा है कि इस तरह से ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों को आय का एक नया साधन मिल जाएगा, जो इस क्षेत्र के हित में नहीं होगा।

**हिंदुस्तान** (21 जुलाई) के अनुसार हूतियों के सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी गई है। यमन के बंदरगाहों और साना हवाई अड्डे पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हूती प्रवक्ता याह्या सारी का कहना है कि साना हवाई अड्डे की नाकेबंदी को वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। गौरतलब है कि हूतियों ने यह आरोप लगाया था कि सऊदी अरब ने साना हवाई अड्डे पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे को अपना निशाना बनाया था।

हूतियों की ओर से सऊदी अरब पर किए जा रहे हमलों पर पाकिस्तान ने चिंता प्रकट की है। एक उच्च पाकिस्तानी अधिकारी ने 'रॉयटर्स' को बताया कि "हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने ईरान को यह स्पष्ट कर दिया है कि सऊदी अरब पर होने वाला कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और अगर यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब के किसी क्षेत्र पर हमला करते हैं तो उस हमले का जवाब सऊदी अरब के साथ-साथ पाकिस्तान भी देगा। खाड़ी सहयोग परिषद ने सऊदी अरब पर हुए हमले की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि हूतियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

**औरंगाबाद टाइम्स** (18 जुलाई) के अनुसार ईरान ने हूतियों को यह निर्देश दिया है कि वे लाल सागर और बाब अल-मंदेब की नाकेबंदी शुरू कर दें ताकि वैश्विक ऊर्जा संकट गंभीर रूप धारण कर सके। ईरान ने हूतियों को यह भी निर्देश दिया है कि अगर अमेरिका ईरानी बिजली घरों या परमाणु केंद्रों को निशाना बनाता है तो उन्हें सऊदी

अरब पर अपने हमले तेज कर देने चाहिए। इस निर्देश के बाद हूतियों ने यमन के अल-हुदैदाह बंदरगाह और अदन की खाड़ी के नजदीक अत्याधुनिक एंटी-शिप मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए हैं।

**कौमी तंजीम** (20 जुलाई) के अनुसार यमन की संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार ने एक ईरानी विमान को साना हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यमन के परिवहन मंत्री मोहसेन अल-अमरी ने यमन के टीवी चैनल पर यह घोषणा की है कि किसी भी देश को बिना उनकी अनुमति के यमन हवाई अड्डे पर अपने विमान उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई देश बिना अनुमति के अपना विमान उतारता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा।

**उर्दू टाइम्स** (26 जुलाई) के अनुसार हूती संगठन 'अंसार अल्लाह' ने सऊदी अरब के तेल उत्पादक संयंत्रों को निशाना बनाते हुए उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। यह कार्रवाई सऊदी अरब द्वारा यमन में हूतियों के ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है।

**कौमी तंजीम** (20 जुलाई) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान ने भी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की घोषणा की थी। बताया जाता है कि हूतियों ने इस योजना के तहत चीनी जहाजों को किसी भी तरह का टैक्स देने से पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने यह फैसला ईरान के निर्देश पर किया है। अमेरिका ने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताते हुए स्पष्ट किया है कि हूती या ईरान में से किसी को भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है।

**इंकलाब** (19 जुलाई) के अनुसार यमन की सरकारी न्यूज एजेंसी 'सबा' से हूतियों के रक्षा मंत्री मेजर जनरल मोहम्मद अल-अतिफी ने एक साक्षात्कार में कहा है कि "वे ईरान के सर्वोच्च नेता के हर आदेश का पालन करेंगे। अगर अमेरिका और सऊदी अरब ने यमन की नाकेबंदी को जारी रखा तो वे इन दोनों देशों के सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। हमारे दुश्मनों को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी व्यवस्था है। हम सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाना जारी रखेंगे।"

## सऊदी अरब और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता

**एतेमाद** (23 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु सहयोग समझौते की मंजूरी दे दी है। यह समझौता अगले 30 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में मुख्य भूमिका निभाएंगी। समझौते के प्रावधानों के अनुसार अमेरिका ने सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी है। अब इस समझौते को अंतिम मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने रखा जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते से अमेरिका के परमाणु उद्योग को सऊदी अरब से कई बिलियन डॉलर के व्यापारिक सौदे मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भी सदस्य है।

दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के

शासनकाल में की गई थी। अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने सऊदी अरब का दौरा करके वहां पर इस सिलसिले में संयंत्र लगाने से संबंधित तैयारियों का निरीक्षण किया था। इजरायल ने इस समझौते की आलोचना की है और कहा है कि यह फैसला अमेरिका और इजरायल के संबंधों और उनके आपसी हितों के खिलाफ है। इजरायल का मानना है कि सऊदी अरब भविष्य में अपने हितों के लिए ईरान के साथ खड़ा हो सकता है।

**इंकलाब** (24 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब के साथ हुए नागरिक परमाणु समझौते को केवल तभी पूरी तरह लागू किया जाएगा जब सऊदी अरब 'अब्राहम समझौते' में शामिल होकर इजरायल को आधिकारिक मान्यता प्रदान करेगा। इसके साथ ही अमेरिका सऊदी अरब पर यह अनिवार्य शर्त लगा रहा है कि वह परमाणु तकनीक और ईंधन का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही करेगा और इस समझौते का दुरुपयोग किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात समेत दुनिया के कई अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते कर चुका है।

एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी संसद के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' ने अगले वर्ष के लिए 1.15 ट्रिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रक्षा बजट पारित कर दिया है। इस नए रक्षा बजट में पश्चिम एशिया और ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों के लिए अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही बजट में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि अमेरिका अपने सहयोगी देश इजरायल को रक्षा सामग्रियों की आपूर्ति और सैन्य सहयोग निरंतर जारी रखेगा। इस नए वार्षिक बजट में पेंटागन और अन्य खुफिया एजेंसियों के लिए 73 अरब डॉलर की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। अब इसे सीनेट से भी मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। ■

## सीरिया और इजरायल के बीच सुरक्षा समझौते की कवायद

**इंकलाब** (27 जुलाई) के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने एक विशेक्ष साक्षात्कार में कहा है कि सीरिया इजरायल के साथ एक सुरक्षा समझौता करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्थाई शांति स्थापित करना है। 'अल जजीरा' को दिया गया यह विशेष साक्षात्कार सीरिया के सरकारी रेडियो और टेलीविजन चैनल से भी प्रसारित किया गया। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने स्पष्ट किया कि इस समझौते का गोलान हाइट्स के क्षेत्र पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पर इजरायल ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि सीरिया फिलहाल इजरायल के साथ किसी भी सैन्य संघर्ष के पक्ष में नहीं है। सीरिया यह चाहता है कि एक ऐसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाए, जो वर्तमान संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सके।

गौरतलब है कि सीरिया के राष्ट्रपति का यह बयान उस समय आया है, जब दिसंबर 2024 में बशर अल-असद सरकार के खात्मे के बाद

इजरायल के कब्जे से मुक्त करवाने तथा हिजबुल्लाह के नि:शस्त्रीकरण के लिए प्रयास कर रही है। अहमद अल-शरा ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सीरिया इस पक्ष में है कि लेबनान में जिन गैर-सरकारी संगठनों के पास हथियार हैं, उनसे वे हथियार वापस लिए जाएं और हथियार रखने का कानूनी अधिकार केवल लेबनान की सरकारी सेना के पास ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से इजरायल और सीरिया के संबंधों में सुधार होने की पूरी संभावना है।

इजरायल दक्षिणी सीरिया के क्षेत्र पर लगातार घुसपैठ और सैन्य कार्रवाई कर रहा है। अहमद अल-शरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीरिया का इरादा लेबनान में वहां की सरकार के पक्ष में किसी भी तरह का सैन्य हस्तक्षेप करने का नहीं है। इसके विपरीत, इस समय वे लेबनानी प्रशासन से बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं, जिससे लेबनान वर्तमान संकट से उबर सके। उन्होंने कहा कि दक्षिण लेबनान के कई क्षेत्र इजरायल के नियंत्रण में हैं, जहां पिछले कई महीनों से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच युद्ध जारी है। लेबनान सरकार इन क्षेत्रों को

**इंकलाब** (26 जुलाई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया का ऐतिहासिक दौरा किया है। गौरतलब है कि सीरिया में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद यह पहला अवसर है, जब संयुक्त राष्ट्र के किसी शीर्ष अधिकारी ने देश का दौरा किया है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी 'साना' के अनुसार सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी ने दमिश्क हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव सीरिया में नवनिर्माण और मानवीय संकट से निपटने के लिए वहां की सरकार से उच्चस्तरीय बातचीत करेंगे।

# ईरान में सुन्नी धर्मगुरु की हत्या

**उर्दू टाइम्स** (21 जुलाई) के अनुसार ईरान के पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) ने देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विश्व विख्यात सुन्नी आलिम-ए-दीन (धर्मगुरु) शेख मोहम्मद अनवर रिगी की हत्या की कड़ी निंदा की है। आईआरजीसी ने आरोप लगाया है कि यह हत्या यहूदी और अमेरिकी एजेंटों ने ईरान में शिया-सुन्नी दंगे भड़काने के उद्देश्य से की है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 'तस्नीम' के अनुसार ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मिर्जावेह शहर की एक मस्जिद में कुछ अज्ञात हमलावरों ने शेख मोहम्मद अनवर रिगी की गोली मारकर हत्या कर दी। ईरान के खुफिया विभाग ने इस हत्या की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि जब रिगी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ईरान सरकार ने देश के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि वे दुश्मनों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के शिकार न हों।

गौरतलब है कि ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में बलूच कबीले के सुन्नी मुसलमान भारी संख्या में रहते हैं। इस क्षेत्र की कुल आबादी में लगभग 80 प्रतिशत सुन्नी हैं। इस प्रांत की सीमाएं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लगती हैं और इसे ईरान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके में कई वर्षों से शियाओं और सुन्नियों के आतंकवादी संगठन जैश अल-अदल के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

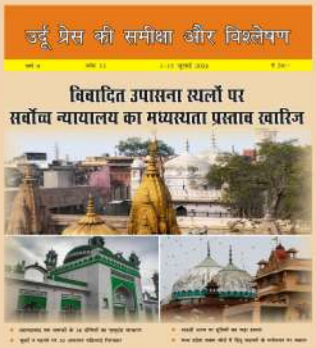

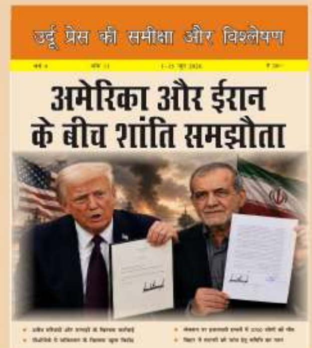


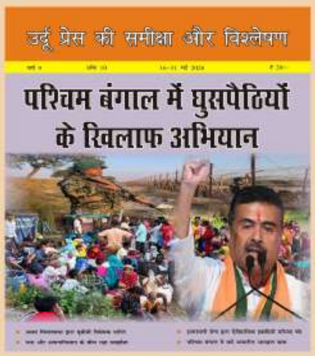


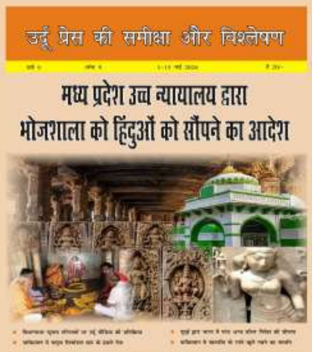


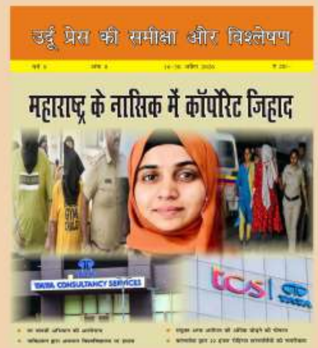

भारत नीति प्रतिष्ठान
**India Policy Foundation**

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in